संख्या–28/सं0वि0/2004–100 संस्कृति/2003

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल–देहरादून ।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 23 मार्च, 2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2003–04 में शहीद स्मारक चनोदा (अल्मोड़ा) के निर्माण एवं श्री गांधी आश्रम चनोदा (अल्मोड़) के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–1272/स0नि0उ0/चार–3/2003–04 दिनॉक 15 जनवरी, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत रू0 15.64 एवं 9.71 लाख पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन देते हुये वित्तीय वर्ष 2003–2004 में इन दो योजनाओं हेतु निम्न तालिका के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में रू0 4.51 लाख (रूपये चार लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	योजना का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत आगणन की लागत	वित्तीय वर्ष 2003–04 में अवमुक्त धनराशि	निर्माण इकाई का नाम
1	शहीद स्मारक, चनोदा, अल्मोड़ा का निर्माण	15.64	2.51	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अल्मोड़ा
2–	श्री गांधी आश्रम चनोदा का सुदृढ़ीकरण, ताकुला, अल्मोड़ा	9.71	2.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अल्मोड़ा
	योग :–	25.35	4.51.00	

(रूपये चार लाख इक्यावन हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जाती है कि इसके उपरांत योजना में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

3–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय

में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एम मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि के उपरान्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथि उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। व्यय करते समय टैण्डर / कुटेशन विषयक नियमों का पालन किया जायेगा।

7– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कृति–106–संग्रहालय–04–उत्तरांचल राज्य में शहीद स्मारक का निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

9– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–2390 / वि0अनु0–2 / 2004 दिनांक 21 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– सं0वि0 / 2004– संस्कृति / 2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून / अल्मोड़ा।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अल्मोड़ा।
6– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8– वित्त अनुभाग–2।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।